

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0/उवसं/2022-23/ 1501
निमित्त,

दिनांक : 15/2/23

अधिशायी अभियंता,
जल संसाधन, परियोजना
बून्दी

विषय :- Diversion of 18.567 ha forest land in favour of Executive Engineer WR project Division Bundi for Construction of canal LMC & RMC for Gararda Medium Irrigation Project Distt. Bundi. (Online Proposal No. FP/RJ/IRRIG/30576/2017)

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/02/15/2021/एफ0सी0/ दिनांक 06.06.2022 एवं अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 4660 दिनांक 31.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक कार्यालय पत्रांक के क्रम में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/02/15/2021/एफ0सी0/ दिनांक 06.06.2022 से Diversion of 18.567 ha forest land in favour of Executive Engineer WR project Division Bundi for Construction of canal LMC & RMC for Gararda Medium Irrigation Project Distt. Bundi. (Online Proposal No. FP/RJ/IRRIG/30576/2017) के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 18.567 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 3254 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रासांगिक पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर प्रदान करती हैं।

1. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कार्यालयाधीन प्रभावित वन क्षेत्र के बदले उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण सवाई माधोपुर के क्षेत्र में प्राप्त गैर वन भूमि 18.567 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु प्रति है0 198000.00 की दर (वैज रेट 259 रु प्रति दिन) से राशि 3676266.00 रु0 (छत्तीस लाख छियत्तर हजार दो सो छियासठ रु.)

2. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 2 एवं अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 4660 दिनांक 31.01.2023 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं संशोधित आदेश 5-3/2011- FC (Vol&-1) दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) 957780 प्रति है0 की दर से 0.9176 है0 की राशि 878858.93 रु0 एवं रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व के Buffer Area में प्रस्तावित क्षेत्र 17.6494 है0 की 5 गुना शुद्ध वर्तमान मूल्य (957780 × 5 = 4788900) प्रति है0 की दर से राशि 84521211.66 रु0 कुल शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) राशि 85400070.59 रु. (आठ करोड चोव्वन लाख इगत्तर रु.)

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 6 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहर के किनारे 4 फिट ऊचाई की दीवार निर्माण के सम्बंध में दिनांक 02.01.2023 को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी एफ. सी. ए. राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रासांगिक बैठक कार्यावाही विवरण के अनुसार दीवार निर्माण कार्य निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

अ. दीवार का निर्माण वन सीमा पर ही किया जाए।

ब. दीवार का निर्माण उन स्थानों पर ही किया जावे जिनसे आबादी और खेती के माध्यम से हो रहे अतिक्रमणों से सुरक्षा हो सके। इनके लोकेशन निम्नानुसार तय किये गये हैं।

1. Point No A : 25°17'20.97"N 75°33'0.93"E to . 25°17'34.11"N 75°33'9.26"E (482 meter)

2. Point No A : 25°18'16.77"N 75°34'24.22"E to .25°18'36.69"N 75°34'24.60"E (879 meter)

3. Point No A : 25°18'35.91"N 75°33'14.57"E to 25°18'19.68"N 75°32'53.46"E (821 meter)

4. Point No A : 25°20'26.97"N 75°31'3.75"E to 25°20'35.67"N 75°32'14.85"E (2325 meter)

उक्तानुसार 4507 रनिंग मीटर दीवार की राशि 3016 रु प्रति रनिंग मीटर की दर (वैज रेट 259 रु प्रति दिन) से दीवार की राशि 13593112 रु. (एक करोड पैंतीस लाख तिरानवे हजार एक सो बारह रु.)

स. वन भूमि के अन्तर्गत नहर निर्माण में वन्यजीवों की आवाजाही हेतु प्रत्येक 500 मीटर पर Corridor Passes छोड़े जावें।

बिन्दू संख्या 1, 2 एवं 3 की कुल राशि (CA = 3676266.00 + NPV = 85400070.59 + Construction wall = 13593112) 102669448.59 (दस करोड छब्बीस लाख उनत्तर हजार चार सो उन्चास रु.) ई-पोर्टल (<http://parivesh.nic.in/>) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा केम्पा अकाउंट में जमा करवाकर एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दूवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहन राज)

उप वन संरक्षक

बून्दी

दिनांक :

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0 /उवसं/ 2022-23 /
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रतिलिपि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज० जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर), बून्दी।

(डॉ. टी. मोहन राज)

उप वन संरक्षक

बून्दी

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2() वन संरक्षण/उवसं/2022/ 1462

दिनांक : 15/2/23

निमित्त:-

अधिशायी अभियंता,
जल संसाधन, परियोजना
बून्दी

विषय :- Diversion of 18.567 ha forest land in favour of Executive Engineer WR project Division Bundi for Construction of canal LMC & RMC for Gararda Medium Irrigation Project Distt. Bundi. (Online Proposal No. FP/RJ/IRRIG/30576/2017)

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/02/15/2021/एफ0सी0/ दिनांक 06.06.2022 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 116 दिनांक 04.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र क्रम में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/02/15/2021/एफ0सी0/ दिनांक 06.06.2022 से Diversion of 18.567 ha forest land in favour of Executive Engineer WR project Division Bundi for Construction of canal LMC & RMC for Gararda Medium Irrigation Project Distt. Bundi. (Online Proposal No. FP/RJ/IRRIG/30576/2017) के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु आपके क्षेत्राधीन 18.567 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 3254 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रासांगिक पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर प्रदान की गई हैं। सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। प्रस्तावित केनाल वनखण्ड मराडी, बाकी, मुन्देड़ एवं गुढा प्लांटेशन की वन भूमि में से गुजर रही है जिसमें से वनखण्ड मराडी, बाकी एवं मुन्देड़ राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.एफ.न.3(12)वन/2019 दिनांक 16.05.2022 के अनुसार रामगढ विषधारी बाघ परियोजना का मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer) होने के कारण विषयांकित प्रकरण में Wildlife Clearance की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.एफ.न.3(12)वन/2019 दिनांक 26.06.2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार वनखण्ड मुन्देड़ का वनक्षेत्र का चार्ज उप वन संरक्षक आर.वी.टी.आर. (कोर) बून्दी को सौंपा गया है। अतः आप Wildlife Clearance online portal पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर प्रस्ताव कार्यालय स्तर पर अग्रेषित करें एवं हार्ड कॉपी कार्यालय में भिजवायें ताकि Diversion एवं Wildlife Clearance की अग्रिम कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(*Ray*)
(डॉ. टी. मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ2() वन संरक्षण/उवसं/2022/

दिनांक :

1. प्रतिलिपि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रतिलिपि उप वन संरक्षक आर.वी.टी.आर. (कोर) बून्दी को सूचनार्थ प्रेषित है।

(डॉ. टी. मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी